(161)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 215–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–11–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 255/अपील/2004–05.

एहमदनूर पिता बोंदर नायतां
निवासी ग्राम पलवाड़ा
तहसील बदनावर जिला धार
हाल मुकाम ग्राम चिलुर
तहसील व जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

1– अजमेरी पिता खाजूजी
निवासी ग्राम गुणावद
तहसील व जिला धार
हाल मुकाम पलवाड़ा
तहसील बदनावर जिला धार

2– खातुनबाई पिता अलाबक्ष नायता
निवासी ग्राम डोडिया
तहसील खाचरोद जिला उज्जैन

3– बानुबाई पति तेजमोहम्मद नायता (मृत)
तर्फे वारिसान–

1– जाकिर पटेल पिता तेजमोहम्मद (मृतक)
तर्फे वारिसान–

अ– गुजर उर्फ गुलशन बी बेवा जाकिर
ब– आमिन पिता जाकिर
स– अफसाना बी पिता जाकिर
द– सायना बी पिता जाकिर
ई– फरजाना बी पिता जाकिर
एफ– दौलत पिता जाकिर

2– दौलत पटेल पिता तेजमोहम्मद
3– सायदाबी पिता तेजमोहम्मद
4– जुलीबी पिता तेजमोहम्मद
5– अकरम बी पिता तेजमोहम्मद
6– जमीलाबाई पिता तेजमोहम्मद
निवासीगण ग्राम पलवाड़ा
तहसील बदनावर जिला धार .....अनावेदकगण

श्री पी.जी. पाठक अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक संघवी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/2/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पलवाड़ा तहसील बदनावर स्थित सर्वे कमांक 369, 415, 455, 746, 748 व 752 कुल रकबा 14.354 हेक्टेयर भूमि की भूमिस्वामी सुगराबाई पति खाजूजी थी । उनकी मृत्यु उपरान्त प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण से सम्बन्धित प्रकरण इस न्यायालय तक प्रचलित रहा और इस न्यायालय से प्रकरण वापिस तहसील न्यायालय को प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार, बदनावर द्वारा दिनांक 28–6–2004 को अन्तिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बदनावर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–7–2005 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–11–2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक 22–11–2017 को अनावेदकगण की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित किया गया था कि आवेदक के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारो, अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों एवं अभिलेख में परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल एवं अपर आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किये बिना आदेश पारित किया गया है ।

(2) वसीयतनामा के साक्षियों की मृत्यु हो जाने के कारण आवेदक द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी, वह पर्याप्त होकर, उससे वसीयतनामा प्रमाणित होता है, फिर भी तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

(3) तहसील न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रकरण संहिता की धारा 109, 110 से संबंधित है और संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत विधिपूर्वक हक अर्जित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही की जाती है । श्रीमती सुगराबाई द्वारा निष्पादित मृत्यु पत्र के आधार पर आवेदक को विधिपूर्वक स्वत्व अर्जित हुए हैं । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अनावेदक पक्ष की ओर से ऐसा कोई खण्डन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर मृत्यु पत्र असत्य व बोगस प्रमाणित हो, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

(5) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, जबकि प्राकृति न्याय के सिद्धान्त के अनुसार पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ! इस तर्क के समर्थन में 1980 आर.एन. 82 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से उठाये गये मुद्दों पर बिना विचार किये, साक्ष्य का बिना विवेचन किये आदेश पारित किया गया है, जो कि आदेश की परिभाषा में नहीं आता है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 मृतक भूमिस्वामी का पुत्र होकर एकमात्र वारिस है, अतः वारिस नाते उसका नामान्तरण करने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 1470–एक/2002 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23–4–2002 को पारित आदेश के पैरांग्राफ 7 में यह विश्लेषण किया गया है कि सुगराबाई

लेप्रोसी की बीमारी से पीड़ित थी, उसने अपने जीवनकाल में अजमेरी के पक्ष में जो वसीयत लिखी थी, वह लम्बे समय तक किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे निश्चित ही वसीयत संदिग्ध है ।

(3) अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आंदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर आवेदक को साक्ष्य हेतु अनेक अवसर दिये गये, परन्तु उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(4) मुस्लिम विधि के अनुसार वसीयतकर्ता को आधी जमीन या सम्पत्ति की वसीयत करने का वैधानिक अधिकार नहीं होता है और न ही ऐसी वसीयत की जा सकती है । सम्पत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही वसीयत किया जा सकता है, उसमें भी यह शर्त होना आवश्यक है कि अन्य शेष हिस्सेदारों की वैध सहमति भी हो ।

(5) आवेदक को अवैध, फोकंल, फर्जी, विधि विरूद्ध दस्तावेज के आधार पर कोई सहायता पाने का अधिकार नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 2008 (II) जे.एल.जे. 247 SC, 2009 (II) एम.पी.एल.जे. 595 SC, 2006 आर.एन. 417 HC, 2009 (II) SCCD 838 SC, 2014 (I) जे.एल.जे. 355 HC, 1994 एम.पी.एल.जे. 209 HC, 2012 (I) एम.पी.एच.टी. 164, 2005 (I) एम.पी.ए.सी.जे. 321 HC, 1994 (3) एम.पी.एल.जे. HC एवं 2006 आर.एन. 417 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष उसके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को प्रमाणित नहीं किया गया है । इस संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचना उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि वसीयतगृहीता आवेदक एवं वसयीतनामा के गवाह के बयानों में कई बिन्दुओं पर विरोधाभास होने से आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा संदेहास्पद है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्तों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश को स्थिर रखा गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समतर्वी निष्कर्ष

निकाले गये हैं । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया :–

''धारा 50–समवर्ती निष्कर्ष–अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समतर्वी निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर